



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082026-275777
CG-DL-E-27082026-275777

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4531]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 25, 2026/भाद्र 3, 1948

No. 4531]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 25, 2026/BHADRA 3, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2026

सं. 34/2026-27

विषय: गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों की निर्यात नीति में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 4716(अ).— समय-समय पर यथा संशोधित, विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 3 के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा आइटीसी (एचएस) निर्यात नीति की अनुसूची 2 के अंतर्गत गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों की निर्यात नीति में निम्नलिखित संशोधन करती है:

आईटीसी (एचएस) कोड	विवरण	मौजूदा निर्यात नीति	संशोधित निर्यात नीति
1101 0000	गेहूं अथवा मेसलीन फ्लोर (आटा), मैदा, समोलीना (रवा/सिरगी), व्हालमील आटा और प्रसंस्कृत आटा	निषिद्ध	मुक्त

2. ऊपर उल्लिखित वस्तुओं/मदों की निर्यात नीति तदनुसार तत्काल प्रभाव से “मुक्त” रहेगी।

इस अधिसूचना का प्रभाव: एचएस कोड 11010000 के अतर्गत आने वाले गेहूं के आटे और संबंधित उत्पाद की निर्यात नीति को तत्काल प्रभाव से “निषिद्ध” से संशोधित कर “मुक्त” किया गया है।

[फा. सं. 01/91/171/012/एएम23/ईसी/ ई-32030]

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2026

No. 34/2026-27

Subject: Amendment in the Export Policy of Wheat Flour and related products – regarding.

S.O. 4716(E).— In exercise of powers conferred by Section 5 read with Section 3 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, the Central Government hereby makes the following amendment in the Export Policy of Wheat Flour and related products under Schedule 2 of the ITC (HS) Export Policy:

ITC (HS) Codes	Description	Existing policy	Revised Policy
1101 0000	Wheat or Meslin Flour (Atta), Maida, Samolina (Rava / Sirgi), Wholemeal atta and resultant atta	Prohibited	Free

2. The export policy of the above-mentioned products/items shall accordingly be ‘Free’ with immediate effect.

Effect of this Notification: The export policy of Wheat flour and related products falling under the HS Code 11010000 is revised from ‘Prohibited’ to ‘Free’ with immediate effect.

[F. No. 01/91/171/012/AM23/EC/E-32030]

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-Officio Additional Secy.